**जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षा तथा उपायों को बेहतर बनाना**

# परामर्श पत्र - संक्षिप्त संस्करण

# जुलाई 2024

प्रथम निवासियों का आदर (Acknowledgement of Country)

*हम ऑस्ट्रेलिया के परम्परागत संरक्षकों का आदर करते हैं और भूमि, जल तथा समुदाय से उनके निरंतर जारी संबंध का आदर करते हैं। हम व्यक्तियों, सँस्कृतियों तथा अतीत, वर्तमान और उभरते वयोवृद्धों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते है।*

© Commonwealth of Australia 2024

राज्य-चिन्ह (Coat of Arms) को छोड़कर, इस प्रकाशन में प्रस्तुत की गई सारी सामग्री, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode> पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन अन्तर्राष्ट्रीय पब्लिक लाइसेंस के तहत प्रदान की गई है।

इसका मतलब है कि यह लाइसेंस इस सामग्री के, दस्तावेज़ में प्रस्तुत प्रारूप पर लागू होता है।

संबंधित लाइसेंस की शर्तों का विवरण क्रिएटिव कॉमन्स की वेबसाइट <https://creativecommons.org/> पर उपलब्ध है, साथ ही CC BY 4.0 लाइसेंस की संपूर्ण क़ानूनी संहिता <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode> पर उपलब्ध है।

राज्य-चिन्ह (Coat of Arms) का उपयोग  
जिन शर्तों के तहत राज्य-चिन्ह (Coat of Arms) का उपयोग किया जा सकता है उनका विवरण   
प्रधान मंत्री एवम् मंत्री-मण्डल विभाग (Department of the Prime Minister and Cabinet) की इस वेबसाइट पर है - <https://www.pmc.gov.au/government/commonwealth-coat-arms> ।

# सहायता और सहयोग

यदि आपको अपनी, किसी अन्य व्यक्ति की, सुरक्षा के बारे में तत्काल कोई चिंता है, या कोई आपात-स्थिति है, तो तीन शून्य (000) डायल करें।

यदि आप पर या आपकी जान-पहचान के किसी व्यक्ति पर जबरन विवाह का ख़तरा है तो आप इस बारे में [ऑस्ट्रेलियाई फैडरल पुलिस](https://forms.afp.gov.au/online_forms/human_trafficking_form) को रिपोर्ट कर सकते हैं या 131 237 पर फ़ोन कर सकते हैं, या [माय ब्लू स्काई (My Blue Sky)](https://mybluesky.org.au/) से उनकी वेबसाइट के माध्यम से या 02 9514 8115 पर फ़ोन करके (सोमवार से शुक्रवार, सिडनी के समयानुसार सवेरे 9 बजे से शाम 5 बजे तक), संपर्क कर सकते हैं। MyBlueSky, जिन लोगों का जबरन विवाह हुआ है उनके लिए या विवाह करने के लिए मजबूर किये जाने से चिंतित लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय सेवा है।

निम्नांकित सेवाएँ भी आपको सहायता और सहयोग दे सकती हैं:

* [Lifeline](https://www.lifeline.org.au/about/contact-us/) (13 11 14) - राष्ट्रीय संकट-स्थिति सहायता तथा आत्महत्या बचाव सेवाएँ, दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध हैं
* [1800Respect](https://www.1800respect.org.au/) (1800 737 732) - राष्ट्रीय यौन उत्पीड़न, घरेलू तथा पारिवारिक हिंसा काउंसलिंग सेवा, दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध है
* [13YARN](https://www.13yarn.org.au/) (13 92 76) एबोरीजनल तथा टोरस स्ट्रेट आईलैंडर संकट-स्थिति सहायता लाइन है, जो दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध है
* [Kids Helpline](https://kidshelpline.com.au/) (1800 55 1800) - बच्चों तथा छोटी आयु (5 से 25 वर्ष) के लोगों के लिए राष्ट्रीय संकट-स्थिति सहायता, दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध है।

# सुझाव देना

इस परामर्श पत्र के जवाब में सुझाव प्रदान करने के लिए, [कॉमनवैल्थ एटोर्नी-जनरल के विभाग का परामर्श केन्द्र (Commonwealth Attorney-General’s Department’s Consultation Hub)](https://consultations.ag.gov.au/integrity/forced-marriage) (Make a submission)’ पर क्लिक करें। क्लिक करने से आप एक ऑनलाइन सर्वे पर पहुँच जाएँगे जिसमें इस पत्र में वर्णित परामर्थ प्रश्नों की सूची है। आपको हर प्रश्न का जवाब देने की ज़रुरत नहीं है। आप इस परामर्श केन्द्र के माध्यम से एक अलग से संपूर्ण सुझाव भी जमा करवा सकते हैं।

आप अपना जवाब आपके नाम से या गुमनाम रूप से जमा करवा सकते हैं। यदि आप सहमति देंगे, तो हम परामर्श अवधि के ख़त्म होने के बाद जवाबों को प्रकाशित करेंगे। यदि आप सहमति नहीं देंगे, या अगर जवाब को प्रकाशित करने में किसी क़ानूनी समस्या की संभावना हुई, तो हम जवाबों को प्रकाशित नहीं करेंगे। जमा कराए गए सुझाव, सूचना की स्वतंत्रता के अनुरोधों, या संसद के अनुरोध से प्रभावित हो सकते हैं।

इस परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से साझा की गई व्यक्तिगत जानकारी को *निजता अधिनियम 1988 (Privacy Act 1988) (Cth)* के अनुसार संभाला जाएगा। इस बारे में जानने के लिए कि अटर्नी-जनरल के विभाग द्वारा निजी सूचनाओं को कैसे एकत्रित, संग्रहित और उपयोग किया जाता है, कृपया [अटर्नी-जनरल के विभाग की निजता नीति](https://www.ag.gov.au/about-us/accountability-and-reporting/privacy-policy) पर जाएँ।

## *परामर्श के अन्य माध्यम*

यदि आप अपना फीडबैक व्यक्तिगत रूप से (आमने-सामने) या वीडियो या फ़ोन कॉल के माध्यम से देना चाहते हैं, आपकी पहुँच से संबंधित कोई अन्य आवश्यकताएँ हैं, या आप अपना फीडबैक अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में देना चाहते हैं, तो कृपया [ForcedMarriage@ag.gov.au](mailto:ForcedMarriage@ag.gov.au) पर संपर्क करें।

## परामर्श की अवधि

यह परामर्श 29/07/2024 को चालू होगा और 23/09/2024 को ख़त्म होगा।

## पूछताछ

यदि आप अपने फीडबैक के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया [ForcedMarriage@ag.gov.au](mailto:ForcedMarriage@ag.gov.au) पर संपर्क करें।

# प्रस्तावना

ऑस्ट्रेलिया में हर व्यक्ति यह तय करने के लिए आज़ाद है कि, उसे विवाह करना है या नहीं, वह किससे कर सकता है और कब कर सकता है। जब कोई विवाह नहीं करना चाहता है तो उसे विवाह करने के लिए मज़बूर करना ऑस्ट्रेलिया में कभी भी स्वीकार्य नहीं है और ऑस्ट्रेलिया में यह एक अपराध है।

जबरन विवाह तब होता है जब कोई व्यक्ति बिना किसी दबाव और पूर्ण सहमति के विवाह करे। ऐसा इसलिए हो क्योंकि उन्हें डराया गया, धमकी दी गई या धोखा दिया गया, या उनकी आयु 16 वर्ष से कम है। यह किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन, कम उम्र की महिलाओं और लड़कियों पर सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है।

ऑस्ट्रेलिया की सरकारें जबरन विवाह पर राष्ट्रीय जवाबी कार्यवाही को बेहतर बनाने के विकल्पों के बारे में विचार-विमर्श कर रही हैं, जिनमें निम्नांकित भी शामिल हैं:

* पीड़ित/सर्वाइवरों की पारिवारिक और घरेलू हिंसा सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए जबरन विवाह की, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर साझा समझ उत्पन्न करना
* जल्दी पहचान, हस्तक्षेप और रोकथाम में सहयोग के लिए शिक्षा और जारूकताबढ़ाने को बेहतर बनाना, और
* जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों के लिए उपलब्ध नागरिक सुरक्षा उपायों को मज़बूत बनाना।

यह सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई जनता की राय महत्वपूर्ण है कि यह प्रयास समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करे।

इस पत्र में वर्णित उपाय कॉमनवैल्थ, राज्य या टेरीटोरी की सरकारों के सहमत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और ना ही सरकारों को कार्यवाही करने के लिए वचनबद्ध करते हैं।

## मौजूदा जवाबी कार्यवाहियाँ

जबरन विवाह का प्रतिरोध करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार की जवाबी कार्यवाही का वर्णन [आधुनिक दासता का प्रतिरोध करने के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही योजना 2020 - 2025 में किया गया है।](https://www.ag.gov.au/crime/publications/national-action-plan-combat-modern-slavery-2020-25) राष्ट्रीय कार्यवाही योजना में, उन व्यक्तियों के लिए नागरिक सुरक्षाओं और उपायों को बेहतर बनाने के लिए एक प्रणाली तैयार करने की वचनबद्धता शामिल है जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है।

कॉमनवैल्थ *दण्ड संहिता अधिनियम (Cth*) में उन अपराधों को शामिल किया गया है जो जबरन विवाह को दण्डात्मक बनाते हैं। इन्हें 2013 में पेश किया गया था। किसी व्यक्ति को जबरन विवाह करने के लिए कारण बनना, और/या किसी जबरन विवाह का एक पक्ष होना ग़ैर-क़ानूनी है। यदि आप ख़ुद जबरन विवाह के एक पीड़ित नहीं हैं, तो जबरन विवाह का एक पक्ष होने का मतलब है कि आप एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करने की सहमति दे रहे हैं जिसके बारे में आपको मालूम है या संदेह है कि वह जबरन विवाह का एक पीड़ित है।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा निधिबद्ध (फंडेड), तस्करी किए गए लोगों के लिए सहायता कार्यक्रम (Support for Trafficked People Program) (एसटीपीपी) के माध्यम से सहायता उपलब्ध है, जिसे ऑस्ट्रेलियाई रैड क्रॉस लोगों तक पहुँचाता है। एसटीपीपी उन लोगों के लिए अधिकतम 200 दिनों तक गंभीर सहायता प्रदान करता है जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक नए कार्यक्रम, जबरन विवाह विशेषज्ञ सहायता कार्यक्रम (एफएमएसएसपी) के संचालन के लिए भी 5 वर्षों में 12.1 मिलियन डॉलर्स देने का वादा किया है, जबरन विवाह के संबंध में राष्ट्रीय स्तर का यह कार्यक्रम जनवरी 2025 में शुरु होगा। जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों को एफएमएसएसपीकें अंतर्गत व्यक्तिगत ज़रुरतों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सहायता से, स्वास्थ्य, सकुशलता और सामाजिक सहायता पर ध्यान देकर, व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें यदि ज़रूरत हो, तो काउंसलिंग ‌और आपात-स्थिति आवास जैसी महत्वपूर्ण सेवाएँ भी शामिल हैं।

# परामर्श के लिए प्रस्ताव

## पीड़ित-सर्वाइवरों की पारिवारिक और घरेलू हिंसा सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए जबरन विवाह की, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर साझा समझ उत्पन्न करना

जबरन विवाह सामान्यतया पारिवारिक पृष्ठभूमि में ही होते हैं लेकिन, ऑस्ट्रेलिया भर में जबरन विवाह की, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर पहचान में भिन्नता है।

पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स में वो सुरक्षाएँ और सहायताएँ शामिल होती हैं जिनसे जबरन विवाह के पीड़ितसर्वाइवरों को फ़ायदा हो सकता है। इनमें, नागरिक सुरक्षा आदेश, क़ानूनी सहायता, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, काउंसलिंग, वित्तीय सहायता और आपात-स्थिति आवास शामिल हो सकते हैं। लेकिन, जबरन विवाह की पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर पहचान में असामनता के कारण इन सुरक्षाओं और सहायताओं तक पहुँच सीमित हो सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उनके लिए वो सेवाएँ उपलब्ध न हों या जबरन विवाह को पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर जानकारी या पहचान की कमी हो।

प्रशासनिक क्षेत्रों के आधार पर, निम्नांकित द्वारा, जबरन विवाह की पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर पहचान की साझा समझ हासिल की जा सकती है:

* जबरन विवाह को स्पष्ट रूप से पारिवारिक और घरेलू हिंसा की परिभाषाओं में शामिल करके
* जहाँ उपयुक्त हो, यह साफ़ करके कि जबरन विवाह को, पारिवारिक और घरेलू हिंसा की परिभाषाओं में पहले ही स्थान दिया जा चुका है
* पारिवारिक और घरेलू हिंसा के स्वरूप के तौर पर पहचान में ज़्यादा समानता हो, यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा और जागरुकता बढ़ाने वाली गतिविधियाँ तैयार करके
* यह सुनिश्चित करके कि पारिवारिक और घरेलू हिंसा की परिभाषाएँ, किसी व्यक्ति को विवाह करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से, विवाह से पहले किए गए व्यवहारों पर भी लागू हों जिनमें, डराना, धमकी और धोखा भी शामिल है।

## शिक्षा और जारूकता बढ़ाने को बेहतर बनाना

हितधारकों ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर ज़ोर दिया था कि जबरन विवाह के प्रति बेहतर नागरिक सुरक्षाएँ और उपाय, सर्वांगीण जवाबी कार्यवाही का हिस्सा हों। इसमें, सामुदायिक शिक्षा और जागरुकता बढ़ाना और महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण भी शामिल है। शिक्षा और जागरुकता बढ़ाने से सहायता माँगने वाले लोगों की सँख्या भी बढ़ सकती है, और इसलिए इनका उचित सहायता सेवाओं से निकट संबंध होना ज़रूरी है।

शिक्षा और जागरुकता बढ़ाने वाली नई गतिविधियाँ साँस्कृतिक रुप से उचित होनी चाहिए और इन्हें जबरन विवाह से प्रभावित समुदायों के साथ मिलकर तैयार किया जाना होगा।

शिक्षा और ज़ागरुकता बढ़ाने वाली नई गतिविधियों में शामिल हो सकता है:

* साँस्कृतिक रुप से उचित, सुलभ और सदमे की जानकारी-पूर्ण कार्यवाहियों सहित जबरन विवाह के संकेतों की पहचान करने और कार्यवाही कैसे की जाए इस बारे में लक्षित जागरूकता बढ़ाना
* समुदाय में शिक्षा और जागरुकता बढ़ाना, तथा
* पारिवारिक और घरेलू हिंसा सेवा प्रदाताओं सहित, महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों के लिए लक्षित जागरुकता बढ़ाना।

## जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाओं और उपायों को मज़बूत बनाना

वर्तमान में, जिन लोगों का जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों के लिए नागरिक सुरक्षा के तरीके सीमित हैं, जबरन विवाह की परिस्थितियों के अनुसार नहीं हैं, और सभी प्रशासनिक क्षेत्रों में ये तरीके अलग-अलग हैं।

नागरिक सुरक्षाएँ और उपाय, यह सुनिश्चित करने के लिए, अदालत द्वारा जारी क़ानूनी सुरक्षाएँ होती हैं कि व्यक्ति तथा संगठन निर्दिष्ट तरीकों से बर्ताव करें। इन सुरक्षाओं का उद्देश्, ज़रुरतमंदों के लिए तुरंत सहायता उपलब्ध करवाकर भावी नुक़सान से बचाव करना है।

ऑस्ट्रेलिया में, शैक्षणिक शोध और नागरिक समाज संगठनों से मिली सलाह में, जबरन विवाह का सामना कर रहे लोगों को जबरन विवाह से बचने या बाहर निकलने के लिए क़ानूनी साधन प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। इस शोध में यह तर्क दिया गया है कि नागरिक सुरक्षाएँ ऐसे अतिरिक्त साधन उपलब्ध करवाए जाएँ, जिन तक पहुँचना, आपराधिक मुक़दमें के लिए आवश्यक सबूतों (सर्वाधिक पुख्ता) की मात्रा की तुलना में, कम मात्रा में सबूतों (संभावित पुख्ता) की आवश्यकताओ के कारण ज़्यादा आसान हो। इस शोध में यह सुझाव भी दिया गया है कि कुछ लोगों के मन में यह डर होता है कि वरना उनके परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुक़दमा चलाया जाएगा उनके लिए दीवानी (सिविल) आदेश ज़्यादा पसंदीदा क़ानूनी विकल्प हो सकते हैं।

### *बेहतर नागरिक सुरक्षाओं और उपायों को शुरु करने के लिए विकल्प*

ऑस्ट्रेलिया की सरकारें बेहतर नागरिक सुरक्षाओं और उपायों को शुरु करने के लिए विकल्पों पर विचार-विमर्श कर रही हैं। इनमें से दो विकल्पों में शामिल हो सकता है:

* **विकल्प A**: बेहतर सुरक्षाओं को, कॉमनवैल्थ, राज्य और टेरीटोरी के पहले से विद्यमान पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स में एकीकृत करना
  + इसमें प्रशासकीय संस्थानों के लिए, साझा सिद्धांतों या बेहतर सुरक्षा के तत्वों को तैयार करना और उन पर सहमत होना शामिल हो सकता है, ताकि वे इन्हें अपने पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स में एकीकृत कर सकें।

यह विकल्प में जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाओं और उपायों को, कॉमनवैल्थ, राज्य और टेरीटोरी के मौजूदा पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स में एकीकृत करने का प्रस्ताव पेश करता है। इस तरीके से मौजूदा विशेषज्ञताओं और प्रणालियों को मज़बूती मिलेगी। सभी प्रशासनीय क्षेत्रों में पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स अलग-अलग हैं, और कुछ प्रशासनिक क्षेत्रों में, जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाओं को नागरिक सुरक्षा के वैकल्पिक फ्रेमवर्क्स में एकीकृत करना ज़्यादा उचित हो सकता है।

मौजूदा विशेषज्ञताओं और प्रणालियों का लाभ उठाते हुए, इस विकल्प का उद्देश्य है, वृहद सहायता सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाना, जिनमें विशेषज्ञ अदालतें और सुरक्षाएँ भी शामिल हैं। सहायक प्रशासनिक संस्थानों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से परिपलान में सहायता के लिए, शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और क्षमता बढ़ाने की प्रभावशाली कोशिशों की ज़रुरत होगी। सूचनाओं के इस आदान-प्रदान में, राष्ट्रीय घरेलू हिंसा आदेश योजना के माध्यम से सहायता की जा सकती है।

शुरु में प्रशासकीय संस्थानों द्वारा, साझा सिद्धांतों या बेहतर सुरक्षाओं के तत्वों को तैयार करने और उन पर सहमत होने पर ध्यान दिया जा सकता है, ताकि प्रशासनिक संस्थान इन्हें अपने पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स में एकीकृत कर सकें। सिद्धांतों या तत्वों पर सहमत होकर, सरकारें कार्यान्वयन में लचीलापन बनाए रखते हुए, उन ज़रुरतों पर ध्यान देने के लिए वचनबद्ध होंगी। इन सिद्धांतो या तत्वों को समाहित करने या ध्यान देने के लिए, प्रशासकीय संस्थानों द्वारा पारिवारिक या घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स जैसे, मौजूदा साधनों का उपयोग करने का, नए फ्रेमवर्क्स स्थापित करने का या अन्य पसंदीदा तरीकों का प्रयोग करने निर्णय लिया जा सकता है।

* **विकल्प B:** लागू करने के लिए राज्य तथा टेरीटोरी सरकारों से सहायता के साथ, कॉमनवैल्थ क़ानून के माध्यम से नई सुरक्षाएँ स्थापित करना।

विकल्प B, कॉमनवैल्थ के एक अलग से संपूर्ण अधिनियम के माध्यम से जबरन विवाह के प्रति एक नए निर्देश की शुरुआत का प्रस्ताव पेश करता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय पर समान क़ानून तैयार करना हो जो सभी प्रशासनिक क्षेत्रों में समान रूप से लागू होता हो।

विकल्प A की तरह, कॉमनवैल्थ के निर्देशों की सुलभता, समयबद्धता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक संस्थानों के बीच आपसी सहयोग ज़रूरी होगा। जबकि इस प्रणाली में राष्ट्रीय स्तर पर समानता की पेशकश की गई है, इसके अंतर्गत आवेदकों को सुरक्षा और सहायता माँगने के लिए कई तंत्रों तक पहुँचने की ज़रुरत पड़ सकती है। जोखिमों को कम करने के लिए रैफरल की स्पष्ट प्रक्रियाएँ, और जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। सूचनाओं के आदान-प्रदान की असरदार प्रक्रियाएँ भी एकीकरण को प्रशासनिक संस्थानों के लिए सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

## बेहतर नागरिक सुरक्षाएँ और उपाय - मुख्य तत्व

### *आदेशों के आधार*

‘आदेशों के आधार’ वे कारण होते हैं जिनकी वजह से अदालत द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है और इनका विवरण क़ानून में दिया गया होता है।

जबरन विवाह संबंधी नागरिक सुरक्षाओं के लिए संभावित कारणों में शामिल हो सकता है, संभावित पुख्ता सबूतों पर अदालत को संतुष्टि होना, कि व्यक्ति के मन में इस डर के पर्याप्त कारण हैं कि उसे विवाह के लिए मज़बूर किया जाएगा।

ये कारण, व्यक्ति को, या दूसरे लोगों को, नुक़सान की धमकियों, व्यक्ति को जबरन विवाह के लिए विदेश ले जाने के ख़तरे, या डराने धमकाने वाले व्यवहार से उत्पन्न हो सकते हैं। राज्य और टेरीटोरी के फ्रेमवर्क्स में जो कारण पहले से मौजूद हैं वो प्रासंगिक बने रहेंगे, इनमें हिंसा की उपस्थिति, या पूर्वानुमान, भी शामिल है।

### *आदेशों का दायरा*

#### आदेशों का दायरा में ऐसे कई तरह के आदेशों या कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण है जिनसे निम्नांकित की कोशिश की जा सकती है:

* किसी जबरन विवाह को रोकना
* जबरन विवाह से निकलने में किसी व्यक्ति की सहायता करना
* किसी व्यक्ति को उस नुक़सान से बचाना जो उसे जबरन विवाह के संबंध में झेलना पड़ सकता है।

जिन ख़तरों और नुक़सानों का सामान्यता सबसे ज़्यादा सामना किया जाता है और जो महत्वपूर्ण हैं उन पर ध्यान देने वाली नागरिक सुरक्षाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, इनमें वे आदेश भी शामिल हैं जो:

* प्रतिवादी को एक ऐसे जबरन विवाह के लिए दबाव डालने, दबाव डालने की कोशिश करने, सहायता देने या प्रोत्साहन देने से रोकते हों जिसका संबंध किसी सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति से है
* प्रतिवादी को, किसी सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति के लिए विवाह का आयोजन करने के लिए कदम उठाने से रोकते हों, जैसे कि सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के पासपोर्ट के लिए आवेदन करना, फ्लाइटें बुक करना, अनुष्ठाता (विवाह संपन्न कराने वाला व्यक्ति) को शामिल करना, या विवाह करने के इरादे के नोटिस को भरना
* प्रतिवादी को, किसी व्यक्ति को जबरन विवाह में बने रहने के लिए दबाव डालने, दबाव डालने की कोशिश करने, या डराने से रोकते हों
* किसी सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया से बाहर ले जाए जाने पर रोक लगाते हों
* अति विशिष्ट परिस्थितियों में, और मानव अधिकारों के बारे में गंभीर सोच-विचार के बाद, किसी सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाने से रोकते हों
* अति विशिष्ट परिस्थितियों में, और मानव अधिकारों के बारे में गंभीर सोच-विचार के बाद, सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति का पासपोर्ट अदालत में जमा करवाने का आदेश देते हों
* प्रतिवादी के लिए, सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति की वापसी में, बताए गए तरीकों, (जैसे कि सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति के वापस ऑस्ट्रेलिया आने के लिए फ्लाइट्स बुक करना), से सहायता करने की आवश्यकता का आदेश देने सहित, जबरन विवाह के उद्देश्य से विदेश ले जाए गए किसी व्यक्ति की वापसी का समर्थन करते हों।
* प्रतिवादी को, सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति का अता-पता बताने का आदेश देते हों
* प्रतिवादी को, किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसा आचरण करने के लिए डराने, सहायता देने या प्रोत्साहन देने से रोकते हों जिस पर आदेश में रोक लगाई गई हो
* प्रतिवादी को निश्चित कार्य करने या निश्चित प्रकार के नुक़सान पहुँचाने से रोकते हों।

### *आवेदक*

#### पीड़ित-सर्वाइवरों को नागरिक सुरक्षा आदेशों के लिए आवेदन करने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस पर ध्यान देने के लिए, जिसका जबरन विवाह हुआ है या जिस पर जबरन विवाह का ख़तरा है उस व्यक्ति की तरफ से कई तरह के लोगों को नागरिक सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। संभावित आवेदकों में निम्नांकित शामिल हो सकते हैं:

* वह व्यक्ति जिसका जबरन विवाह हुआ है या जिस पर जबरन विवाह का ख़तरा है,
* माता-पिता या अभिभावक
* पुलिस अधिकारी
* बाल-सुरक्षा एजेंसियाँ
* विशिष्ट सामुदायिक संगठन, सेवा प्रदाता और/या अन्य ग़ैर-सरकारी संगठन
* अन्य क़ानूनी कार्यवाहियों के दौरान यदि उचित माना जाए तो अदालतें ख़ुद भी आदेशों की पहल कर सकती हैं।

हाँलाकि कई प्रकार के आवेदक होने से, नागरिक सुरक्षाओं के लिए आग्रह करने के लिए और ज़्यादा सुलभ रास्ते उपलब्ध हो जाएँगे, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हो सकते हैं, जैसे कि अदालत के लिए यह तय करना मुश्किल होना कि क्या आवेदक, पीड़ित-सर्वाइवर के सर्वोत्तम हितों में काम कर रहा है।

### *प्रतिवादी*

#### प्रतिवादी वह व्यक्ति होता है जिसके विरुद्ध नागरिक सुरक्षा आदेश दिया गया है या निर्देशित किया गया है। नागरिक सुरक्षा आदेशों को निर्देशित करने की आवश्यकताएँ ऑस्ट्रेलिया भर में अलग-अलग हो सकती है। कुछ फ्रेमवर्क्स में आदेश को, पीड़ित-सर्वाइवर के परिवार या अंतरंग साथी के लिए निर्देशित करने की आवश्यकता है, जबकि अन्य फ्रेमवर्क्स में अदालत द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश निर्देशित किया जा सकता है।

जबरन विवाह के प्रति बेहतर नागरिक सुरक्षाओं के लिए, संभावित प्रतिवादियों में निम्नांकित शामिल हो सकते हैं:

* परिवार के सदस्य, माता-पिता और निकट संबंधियों सहित
* जिस व्यक्ति पर जबरन विवाह का ख़तरा है उसका अपेक्षित जीवन-साथी
* विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति, इसमें धार्मिक, साँस्कृतिक या क़ानूनी रस्में करवाने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं
* किसी व्यक्ति पर विवाह करने के लिए दबाव डालने में शामिल अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों, इसमें ये भी शामिल है कि वे किस स्थान पर, दबाव डाल रहे हैं, दबाव डालने दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, या जबरन विवाह के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं।

### *पीड़ित-सर्वाइवर प्रतिनिधित्व*

नागरिक सुरक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पीड़ित सर्वाइवर के प्रतिनिधित्व का सम्मान हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, विशेषकर ऐसे मामलों में जिनमें, आदेशों से उनके मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर असर पड़ सकता हो। प्रस्तावित प्रावधान अदालतों को आदेश जारी करते समय, सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति की इच्छाओं पर विचार करने की अनुमति देंगे।

पीड़ित सर्वाइवरों को, परिवार और समुदाय के सदस्यों द्वारा सुरक्षा आदेशों का विरोध करने या त्यागने के लिए दबाव, का भी सामना करना पड़ सकता है। इस बात पर ध्यान देने की भी ज़रुरत होगी।

### *क़ानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से अदालती सुरक्षाएँ और सहायता*

#### वर्तमान में पारिवारिक और घरेलू हिंसा प्रणालियों के माध्यम से अदालती सुरक्षाएँ उपलब्ध हैं जिनमें नागरिक सुरक्षा आदेशों के लिए आवेदन करने वाले असहाय या विशेष गवाह भी शामिल हैं, और यह प्रस्ताव पेश किया गया है कि जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन्हें भी ऐसी ही सुरक्षाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

अदालत द्वारा दी गई सुरक्षाएँ ग़वाहों को धमकाए जाने से रोक सकती हैं और उनकी सुरक्षा और सकुशलता में सहायक हो सकती हैं और इन सुरक्षाओं में शामिल हो सकता है:

* यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाएँ करना कि पीड़ित-सर्वाइवर को प्रतिवादी को देखना नहीं पड़े, उदाहरण के लिए, स्क्रीन के उपयोग द्वारा या ऑडियो-विज़ुअल लिंक के माध्यम से प्रमाण देकर
* अदालत में सहायक व्यक्ति का होना
* बंद दरवाज़े वाली अदालत में सबूत देना
* ख़ुद का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिवादियों द्वारा पूछताछ न किया जाना

नागरिक सुरक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले, उन लोगों के लिए जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है, उन लोगों के लिए सहायता को आसान बनाने के लिए अन्य सेवाएँ और कार्यवाहियाँ भी उचित हो सकती हैं, इनमें शामिल है:

* मुख्य सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों, क़ानूनी कर्मचारियों, अदालतों और न्याय-तंत्र के लिए शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियाँ (भाग 2 देखें)
* पीड़ित-सर्वाइवरों की उनके आवेदन में सहायता के लिए सहायता सेवाएँ
* जिन लोगों पर ख़तरा है उन्हें सरकार द्वारा निधिबद्ध सेवाओं में भेजने के रास्ते।

### *अंतरिम आदेश और एक-पक्षीय सुनवाईयाँ*

#### अंतरिम आदेश और एक-पक्षीय सुनवाईयों से नागरिक सुरक्षा आदेशों के लिए तत्काल सुनवाई की जा सकती है। इनमें दूसरे पक्ष को नोटिस प्रदान किए जाने की ज़रूरत नहीं होती और सामान्यतया इनकी समय-सीमा, नियमित अदालती प्रक्रियाओं के शुरु होने तक की होती हैं।

#### अदालतों द्वारा सामान्यतया अंतरिम या एकपक्षीय आदेश दिए जाते हैं। लेकिन, विशेष परिस्थितियों में पुलिस अधिकारियों जैसे व्यक्तियों द्वारा अंतरिम या एक-पक्षीय आदेश देने की अनुमति के क़ानून बनाए जा सकते हैं। जबरन विवाह के पीड़ित-सर्वाइवरों को अपनी सुरक्षा पर तत्काल ख़तरों का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से, यह प्रस्ताव पेश किया गया है कि, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यदि ज़रूरी हो तो, अदालतों द्वारा दिए गए अंतरिम और/या एकपक्षीय आदेश उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।

### *सेवा, प्रवर्तन और उल्लंघन*

#### ऑस्ट्रेलिया में नागरिक सुरक्षा आदेशों को सामान्यतया पुलिस अधिकारी प्रदान करते हैं और यह प्रस्ताव रखा गया है कि जबरन विवाह से संबंधित नागरिक सुरक्षा आदेश भी पुलिस द्वारा ही प्रदान किए जाएँ। इससे, इस बात का बहुत ज़्यादा भरोसा मिलेगा कि प्रतिवादी को आदेश के बारे में बता दिया गया है, और सुरक्षा-प्राप्त व्यक्ति की सुरक्षा का अनुपालन, जवाबदेही और भरोसा बढ़ेगा।

### *अन्य उपाय*

#### कुछ अन्य ऐसे उपाय हो सकते हैं जिन पर जबरन विवाह के प्रति बेहतर सुरक्षाएँ और उपाय प्रदान करने की प्रणाली में सोच-विचार किया जा सकता है। जैसे कि जो लोग जबरन विवाह में हैं उनके लिए विवाह-निरस्तीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना।

### *सहायता माँगने के लिए ख़तरे के कारण और अवरोध*

जबरन विवाह किसी विशेष साँस्कृतिक समूह, धर्म या जातीयता तक सीमित नहीं है। लेकिन, विस्थापन, वीज़ा स्थिति, भाषाई बाधाओं या सामुदायिक सहायता में कमी जैसे कारणों से कुछ समुदायों में इसका ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। जिन लोगों पर ख़तरा है उनके लिए, भेदभाव और साँस्कृतिक रूप से सुरक्षित सेवाओं की कमी से, सहायता प्राप्त करना ज़्यादा कठिन हो सकता है। डिसेबलिटी वाले लोगों को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक और साँस्कृतिक दबावों के कारण भी, लोगों को अपने परिवार या समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध बोलना कठिन हो सकता है।

### *बच्चों की सहायता करना*

#### बच्चों के लिए मौजूदा सुरक्षाएँ राज्य और टेरीटोरी बाल सुरक्षा फ्रेमवर्क्स के माध्यम से और परिवार क़ानून अधिनियम 1975 (Family Law Act 1975)(Cth) के माध्यम से उपलब्ध हैं। बहरहाल, जबरन विवाह से बचने या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे बच्चों के लिए, विशेष सहायता और पहुँच की आवश्यकताओं पर अतिरिक्त सोच-विचार करने की आवश्यकता है। इसमें, अदालत के दस्तावेज़ों और फॉर्म्स को प्राप्त करने, और इसके अलावा अदालत में उचित सुरक्षाएँ प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सहायता के बारे में सोच-विचार करना शामिल हो सकता है।

# निष्कर्ष

इस परामर्श के माध्यम से प्रदान किए गए फीडबैक से, जबरन विवाह के प्रति सुरक्षाओं और उपायों को बेहतर बनाने हेतु एक प्रणाली तैयार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सभी सरकारों के प्रयासों के लिए जानकारी हासिल होगी। यह प्रयास निरंतर जारी है और सभी प्रशासनिक संस्थानों द्वारा आगे और विचार-विमर्श तथा निर्णय से प्रभावित हो सकता है।

यदि आपके कुछ पूछना चाहते हैं या अतिरिक्त टिप्पणियाँ करना चाहते हैं, तो [ForcedMarriage@ag.gov.au](mailto:ForcedMarriage@ag.gov.au)पर अटर्नी-जनरल के विभाग से पर संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है

# समेकित परामर्श प्रश्न

## *परामर्श के लिए प्रस्ताव*

1. जबरन विवाह के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर समान जवाबी कार्यवाही में को बेहतर बनाने के लिए क्या ये विकल्प प्रभावशाली हैं? क्या कोई अन्य ऐसे विकल्प हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए?

## *भाग 1: पीड़ित-सर्वाइवरों की पारिवारिक और घरेलू हिंसा सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए जबरन विवाह की, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर साझा समझ उत्पन्न करना*

1. क्या जबरन विवाह को, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर पहचाना जाना चाहिए? क्यों?
2. जबरन विवाह की, पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर बेहतर पहचान के लिए किन क़ानूनी, नीति परिवर्तनों से संबंधित या अतिरिक्त दिशा-निर्देशों की ज़रूरत है?
3. पारिवारिक और घरेलू हिंसा सेवाएँ जबरन विवाह को पारिवारिक और घरेलू हिंसा के एक स्वरूप के तौर पर, और ज़्यादा नियमित रूप से पहचानें इसके लिए, किन चीज़ों को बेहतर बनाने या अतिरिक्त दिशा-निर्देशों की ज़रूरत हो सकती है?

## *भाग 2: शिक्षा और जारूकता बढ़ाने को बेहतर बनाना*

1. शिक्षा और जागरुकता वृद्धि की गतिविधियों में किन विषयों पर ध्यान दिया जा सकता है?
2. जबरन विवाह से प्रभावित समुदायों में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने में क्या शामिल होना चाहिए?
3. समुदाय में किन समूहों को जबरन विवाह के बारे में शिक्षा और जागरुकता बढ़ाने की ज़रूरत है (उदाहरण के लिए मुख्य सेवाएँ प्रदान करने वाले कर्मचारी जैसे कि पुलिस, बाल सुरक्षा औरया समुदाय के भीतर विशेष समूह)?

## *भाग 3: जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाओं और उपायों को मज़बूत बनाना*

### *फीडबैक के लिए प्रस्ताव*

1. क्या आप सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जबरन विवाह के प्रति कार्यवाही करने और जबरन विवाह को रोकने के लिए अभी जो क़ानूनी सुरक्षाएँ उपलब्ध हैं उनमें कोई कमी है? यदि हाँ, तो वे कमियाँ क्या हैं और क्या उनके लिए राष्ट्रीय जवाबी कार्यवाही की ज़रूरत है?
2. नागरिक क़ानूनी सुरक्षाओं को मज़बूत बनाने के लिए इस पत्र में दो विकल्पों पर चर्चा की गई है: विकल्प A (मौजूदा क़ानून को बेहतर बनाना, संभवतया साझा सिद्धांतों के माध्यम से) और विकल्प B (कॉमनवैल्थ के एक अलग से संपूर्ण क़ानून की शुरुआत)। परिपालन के इन दो विकल्पों में से कौनसा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा और क्यों? क्या-क्या मुख्य ख़तरे हैं? क्या दूसरे ऐसे विकल्प हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए?
3. विकल्प A के अंतर्गत, पारिवारिक और घरेलू हिंसा फ्रेमवर्क्स के क्या कोई ऐसे वैकल्पिक नागरिक सुरक्षा फ्रेमवर्क्स हैं जिनका उपयोग, जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाओं को मज़बूत बनाने के लिए किया जा सकता है?

### *आदेशों के आधार*

1. जबरन विवाह पर नागरिक सुरक्षाएँ माँगने के लिए, जबरन विवाह से संबंधित किन प्रमाणों, या अन्य प्रकार के कार्यों, ख़तरों या नुक़सानों पर, कारणों के रूप में विचार किया जाना चाहिए?

### *आदेशों का दायरा*

1. क्या ऊपर बताई गईं प्रस्तावित सुरक्षाएँ उन गंभीर ख़तरों और नुक़सानों पर ध्यान देंगी, जिनका सामान्यतया सबसे ज़्यादा सामना उन लोगों को करना पड़ता है जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। यदि नहीं, तो और किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए?
2. क्या निश्चित व्यक्तियों या संगठनों को सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन करने का सामर्थ्य देने के क्या कोई ख़तरे हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए?

### *आवेदक*

1. क्या ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति या संगठन हैं जो जबरन विवाह के प्रति सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन कर सकते हों? यदि हाँ, तो कौन और क्यों?
2. क्या निश्चित लोगों या संगठनों को सुरक्षा आदेशों के हेतु आवेदन करने के लिए क्षमता देने के क्या कोई ख़तरे हैं? यदि हाँ, तो ये ख़तरे क्या हैं और इन्हें कम कैसे किया जा सकता है?

### *प्रतिवादी*

1. क्या इस बात की कोई सीमा होनी चाहिए कि जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाओं के लिए प्रतिवादी कौन हो सकता है? यदि हाँ तो उनका विवरण कैसे दिया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए केवल परिवार के सदस्य)?

### *पीड़ित-सर्वाइवर प्रतिनिधित्व*

1. पीड़ित-सर्वाइवरों को आदेशों को त्यागने के लिए डराने के ख़तरे पर कैसे निपटा जा सकता है?
2. पीड़ित-सर्वाइवरों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, के विचारों को कैसे तलाशा और, जबरन विवाह के प्रति नागरिक सुरक्षाएँ जारी करने की प्रक्रिया में सर्वोत्तम रूप से शामिल किया जा सकता है?

### *क़ानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से अदालती सुरक्षाएँ और सहायता*

1. जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों की, इनमें बच्चे भी शामिल हैं, नागरिक सुरक्षा आदेश के आवेदन प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए, कौनसी अन्य सहायताएँ उपलब्ध होनी चाहिए? उदाहरण के लिए, आवेदन प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त सहायताएँ, या अदालत द्वारा अतिरिक्त सुरक्षाएँ।

### *अंतरिम आदेश और एक-पक्षीय सुनवाईयाँ*

1. जब किसी व्यक्ति का जबरन विवाह हुआ हो या किसी व्यक्ति पर जबरन विवाह का ख़तरा हो, तो अंतरिम आदेश देने के लिए कौनसे कारण महत्वपूर्ण होने चाहिए?
2. क्या अंतरिम आदेश, प्रस्तावित आदेशों के दायरों (आदेशों के दायरे में वर्णित) में से, सभी को नहीं बल्कि कुछ को ही शामिल करने तक सीमित होने चाहिए? यदि हाँ, तो किन सुरक्षाओं को शामिल किया जाना चाहिए और किन सुरक्षाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए और क्यों?
3. जब किसी व्यक्ति का जबरन विवाह हुआ हो या जबरन विवाह का ख़तरा हो तो किस तरह के सबूत जबरन विवाह के ख़तरे की तरफ इशारा कर सकते हैं जिन पर पुलिस द्वारा अंतरिम आदेश के कारणों पर विचार करते समय ध्यान दिया जाए।

### *सेवा, प्रवर्तन और उल्लंघन*

1. क्या कोई ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें आदेशों को व्यक्तिगत रूप से प्रदान करने की ज़रुरत नहीं होनी चाहिए (उदाहरण के लिए इलैक्ट्रॉनिक सेवा के माध्यम से)? यदि हाँ, तो ये परिस्थितियाँ क्या हैं?

### *अन्य उपाय*

1. जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों के लिए, नागरिक सुरक्षाओं के अलावा, क्या कोई अन्य उपाय हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए?
2. वर्तमान में, क्या जबरन विवाह के पड़ित-सर्वाइवरों को उनके जबरन विवाह को अमान्य घोषित करने की माँग करते समय बाधाओं या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ, तो इन बाधाओं या मुश्किलों से कैसे निपटा जा सकता है?

### सहायता माँगने के लिए ख़तरे के कारण और अवरोध

1. जिनका जबरन विवाह हुआ है या जिन पर जबरन विवाह का ख़तरा है उन लोगों के लिए सहायता माँगने के लिए क्या ख़तरे और बाधाएँ हैं? इनसे निपटने के लिए किन रणनीतियों पर विचार किया जा सकता है?
2. कोई व्यक्ति अगर क़ानूनी प्रणाली के माध्यम से सुरक्षा माँगे तो उसे किन खतरों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? इन्हें कम कैसे किया जा सकता है?
3. सहायता और क़ानूनी प्रणालियों में संलग्न होने से जबरन विवाह का सामना कर रहे लोगों के लिए ख़तरे बढ़ सकते हैं। जब किसी व्यक्ति पर जबरन विवाह का ख़तरा हो, तो क्या ऐसी कोई कार्यवाहियाँ हैं जो, मुख्य सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों या क़ानूनी सेवाओं को शुरु नहीं करनी चाहिए?

### *बच्चों की सहायता करना*

1. बच्चो को प्रस्तावित क़ानूनी सुरक्षाओं तक पहुँचने में और आवेदनों, अदालतों और अन्य प्रक्रियाओं के दौरान सहायता के लिए किन अतिरिक्त सहायताओं और सुरक्षाओं पर विचार किया जा सकता है?